



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 17 जनवरी, 2011/27 पौष, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जनवरी, 2011

**संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)36/2010.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बाली चौकी, उप-तहसील बाली चौकी, जिला मण्डी में बाली चौकी थाची सड़क के निर्माण हेतु भूमि अजित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला	उप-तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा-बिस्वा
मण्डी	बाली चौकी	बाली चौकी	1196 / 1149 / 960 / 35 / 1	0-08-14
		कुल जोड	किता-1	0-08-14

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / -  
प्रधान सचिव, लोक निर्माण।

## PUBLIC WORKS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 15th January, 2011*

**No. PBW(B)F(7)3/2009.**—In continuation to this department Notification of even number dated 7th August, 2010 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the 'Baghi Khadrara Sungri Rohru Road' in District Shimla having a length of 54 kms as Major District Road (MDR) No. 59 at Sr. No. 52. Accordingly total length of MDRs in the State will be 2155.915 Kms.

By order,  
Sd/-  
*Pr. Secretary (PW) .*

## HOME DEPARTMENT (Prosecution)

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 13th January, 2011*

**No. Home (Pros) B (6)2/2008.**—In continuation of this deptt.'s Notification No. Home (Prose.)B (2)3/2009 dated 27.11.2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to adjust Sh. Surinder Negi, Deputy Distt. Attorney who is under order of transfer from HPPTCL, Shimla to SV & ACB, Mandi, against vacant post of District Attorney in Directorate of Elementary Education, Shimla-1.

Sh. Surinder Negi, Deputy District Attorney is directed to join at his new place of posting within one week's time positively otherwise this transfer orders shall deemed to be cancelled.

By order,  
Sd/-  
*Principal Secretary.*

**HOME DEPARTMENT  
(Prosecution)**

NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 13th January, 2011*

**No. Home (Pros.) B (2)3/2006.**—Whereas with regard to assigning of seniority to Ex-serviceman CWP No. 488/2001 titled V.K. Behal Vs. State of HP was decided by Hon'ble High Court of HP on 29.12.2008. As per this judgement the seniority list of ADA circulated *vide* letter no. LLR-B (1)2/78 dated 17.01.1997 has been set aside and quashed.

And whereas against this judgement dated 29.12.2008 the aggrieved Ex-serviceman filed SLP No. 8710/2009 titled R.K. Barwal & Others Vs State of HP & Others before Hon'ble Supreme Court of India. This SLP was listed 16.03.2009 when State of HP has been directed to maintain Status Quo as of today. After the passing of judgement dated 29.12.2008 by Hon'ble High Court no seniority list in the category of ADA has been finalised and circulated.

Thus the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of Departmental Promotion Committee, as well as after considering the order passed by Hon'ble Supreme Court of India in the said pending SLP of maintaining Status Quo is pleased to promote Smt. Gulab Devi, ADA, Shimla to the post of Deputy District Attorney in the pay scale of Rs.7880-11660, pre-revised on temporary basis with immediate effect subject to final outcome of SLP No. 8710/2009 and to post her as such in the office of District Attorney Shimla.

The promotion will become effective only on the joining at new place of posting. The non-submission of joining at new place of posting within 15 days will amount to withdrawal of promotion order.

The above temporary promotion shall not confer any right on the above officers to continuance/promotion/seniority etc. in the cadre of Deputy District Attorney.

By order,  
Sd/-  
*Principal Secretary.*

**HOME DEPARTMENT  
(Prosecution)**

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 13th January, 2011*

**No. LLR-B(3)-3/88.**—In continuation of this deptt.'s Notification of even No. dated 27.11.2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to issue No Objection Certificate in favour of Sh. T.C.Kainthla, District Attorney who is on deputation with SJVNL for his absorption in SJVNL.

Sh. T. C. Kainthla, District Attorney will continue to work in SJVNL as such till his absorption in SJVNL.

By order,  
Sd/-  
*Principal Secretary.*

ब अदालत श्री जिया लाल चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा :

जन्म तिथि का इन्द्राज पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री मिसरू, निवासी मड़ोट, डाकघर मण्डोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी ने इस कार्यालय में एक दरखास्त प्रस्तुत की है जिसमें लिखा है कि प्रार्थी के पुत्र कपिल की जन्म तिथि किसी करणवश ग्राम पंचायत सारी में दर्ज न करवा सका तथा अब करवाना चाहता है। प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि 12-8-2004 है।

अतः सर्वसाधारण जनता को राजपत्र ईशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के सुपुत्र कपिल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सायरी के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 27-1-2011 को या इससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर व एतराज पेश करे अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जिया लाल चौहान,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बुद्धि सिंह कंवर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 18/xiii-A-I/2010

तारीख मरजुआ : 3-11-2010

श्रीमती कमला विधवा स्व० श्री मोती राम, निवासी महाल जूणी कलां, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

सर्वश्री नीरज कुमार पुत्र मोती राम, तुलसी राम, भगत राम, मेला राम, रमेश, कर्म चन्द पुत्रगण हिमंतु राम, महाल जूणी कलां, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दरुस्ती कब्जाकाशत खाता/खतौनी नं० 1 मिन/8, खसरा नं० 375, 376, 379, कित्ता 3 रकबा तादादी 0-05-58 हैक्टेयर, महाल जूणी कलां, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

हरगाह उपरोक्त प्रतिवादीगणों को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला विधवा स्व० श्री मोती राम, निवासी महाल जूणी कलां, तहसील सुन्नी, जिला शिमला ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बावत दरुस्ती कब्जाकाशत खाता/खतौनी नं० 1 मिन/8, खसरा नं० 375, 376, 379, कित्ता 3, रकबा तादादी

0-05-58 हैक्टैयर, महाल जूणी कलां, तहसील सुन्नी प्रस्तुत किया है जिस बारे उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस अदालत द्वारा कई बार समन जारी किए गए परन्तु प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नहीं हो रहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती कमला विधवा स्व० श्री मोती राम के प्रार्थना-पत्र बावत दरुस्ती कब्जाकाशत बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 24-1-2011 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 6-12-2010 को जारी हुआ।

मोहर।

बुद्धि सिंह कंवर,  
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,  
सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा :

नाम दरुस्ती

तारीख पेशी : 24-1-2011

श्री अमर चन्द पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी तकरेहड़, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश  
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... फरीकदोयम।

श्री अमर चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल तकरेहड़ के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम रूल्दू लिखा गया है जो गलत है। मेरे पिता का वास्तविक नाम शेर सिंह है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24-1-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार आज दिनांक 16-11-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
एवं नायब तहसीलदार,  
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ओ० पी० ठाकुर, उपमण्डल मैजिस्ट्रेट, बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर,  
हिमाचल प्रदेश

श्री रवि कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह, वासी ढवरानी, डा० वटारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर,  
हिमाचल प्रदेश ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान : दरखास्त नाम दुरुस्ती करने बारे।

रवि कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह, वासी ढवरानी, डा० वटारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि इसके लड़के का नाम पंचायत रिकार्ड में सरण ठाकुर गलत दर्ज हुआ है। इसलिए इसके लड़के का नाम पंचायत रिकार्ड में सरण ठाकुर के बजाए आयुष ठाकुर दर्ज किया जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को नाम दुरुस्ती दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

ओ० पी० ठाकुर,  
उपमण्डल मैजिस्ट्रेट,  
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ओ० पी० ठाकुर, उपमण्डल मैजिस्ट्रेट, बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर,  
हिमाचल प्रदेश

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश, वासी कुठार, डा० सलौणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर,  
हिमाचल प्रदेश . . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान : दरखास्त जन्म तिथि दुरुस्त करने बारे।

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश, वासी कुठार, डा० सलौणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मेरे लड़के की जन्म तिथि 20-2-2007 पंचायत रिकार्ड में गलत दर्ज की है। इसलिए मेरे लड़के की जन्म तिथि 20-2-2007 के बजाए 20-2-2-2008 पंचायत रिकार्ड में दर्ज की जावे।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर पेश करे अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

ओ० पी० ठाकुर,  
उपमण्डल मैजिस्ट्रेट,  
बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० सी० कटोच, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना,  
हिमाचल प्रदेश

श्री चमन लाल पुत्र श्री शक्ति चन्द, निवासी महाल दोबड़, तप्पा थहड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना,  
हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बाबत शादी पंजीकरण पंचायत रिकार्ड।

श्री चमन लाल पुत्र श्री शक्ति चन्द, निवासी महाल दोबड़, तप्पा थहड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी हिन्दू रिती—रिवाज के अनुसार दिनांक 9-10-2009 को वन्दना देवी पुत्री कुशल सिंह, वासी महाल पालकवाह, तहसील हरोली से सम्पन्न हुई थी, परन्तु अज्ञानतावश वह अपनी शादी ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त शादी पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 31-1-2011 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

आर० सी० कटोच,  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सी० आर० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश

Kalsang Dolkar w/o Sh. Gether, निवासी मकान नं० 128, मनु मार्केट मनाली, तहसील मनाली,  
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Kalsang Dolkar w/o Sh. Gether, निवासी मकान नं० 128, मनु मार्केट मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि Tenzin Choekey जो दिनांक 3-4-1975 को पैदा हुई है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzin Choekey की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-1-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

सी0 आर0 आजाद,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मनोज जोशी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Shri/Shrimati Pempa Tsering

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Shri/Shrimati Pempa Tsering w/o / s/o Shri Lobsang Gyatso, निवासी सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Yangdal की जन्म तिथि 24-12-1991 है परन्तु ग्राम पंचायत सिद्धपुर में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Yangdal का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-1-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-12-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज जोशी,  
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम नं0 56/2010.

तारीख पेशी : 31/1/2011

श्री सरवण सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी वलोह, डा0 साई, उप—तहसील थुरल, जिला कांगड़ा  
(हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

श्री संजीव कुमार आदि

. . प्रतिवादीगण।

सम्मन बनाम : 1. स्वरूप चन्द पुत्र श्री लक्ष्मण, 2. संजीव कुमार पुत्र, 3. कमला देवी पुत्री, 4. पुन्या देवी पुत्री,  
व 5. श्रीमती सुदर्शना देवी विधवा श्री रमेश चन्द, 6 विवेक कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, सभी वासी महाल वलोह,  
मौजा व उप—तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण।



विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 50, खतौनी नम्बर 81, खसरा नं0 1239/101, रकवा तादादी 0-21-78 हैक0, बाक्या महाल मलघूणी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

इशतहार मुस्त्री मुनादी :

श्री सरवण सिंह, निवासी महाल वलोह, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 50 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादियों को इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असागतन या वकालतन तारीख पेशी 31-1-2011 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।।

यह इशतहार व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-12-2010 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम नं0 55/2010.

तारीख पेशी : 31/1/2011.

श्री सरवण सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी वलोह, डा0 साई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा  
(हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

श्री स्वरूप चन्द आदि

. . प्रतिवादीगण।

सम्मन बनाम : 1. स्वरूप चन्द पुत्र श्री लच्छमण, 2. संजीव कुमार पुत्र, 3. कमला देवी पुत्री, 4. पुन्या देवी पुत्री,  
व 5. श्रीमती सुदर्शना देवी विधवा श्री रमेश चन्द, सभी वासी महाल वलोह मौजा व  
उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 49, खतौनी नम्बर 80, खसरा कित्ता 14, रकबा तादादी 0-66-67 हैक0,  
बाक्या महाल मलघूणी, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

इशतहार मुस्त्री मुनादी :

श्री सरवण सिंह, निवासी महाल वलोह, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 49 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादियों को इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 31-1-2011 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।।

यह इशतहार व मोहर अदालत से आज दिनांक 29-12-2010 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा नायव तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा,  
हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती नाम।

तारीख पेशी : 29-1-2011.

श्री प्रताप सिंह उर्फ निर्मल सिंह पुत्र श्री सीता राम, निवासी उमरी, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल उमरी, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल।

इशतहार मुस्त्री मुनादी :

श्री प्रताप सिंह उर्फ निर्मल सिंह पुत्र श्री सीता राम, निवासी महाल उमरी, मौजा आलमपुर, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत कौना व अन्य अभिलेख में निर्मल सिंह दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख में निर्मल सिंह दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल उमरी में गलती से प्रताप सिंह दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी राजस्व अभिलेख में प्रताप सिंह के स्थान पर प्रताप सिंह उपनाम निर्मल सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त आरुष धीमान पुत्र श्री शमशेर सिंह का जन्म 25 अक्टूबर, 2008 बारे उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-12-2010 को हाजिर उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व लड़की के जन्म पंजीकरण का आदेश प्रधान ग्राम पंचायत को जारी कर दिया जावेगा।

यह इशतहार मोहर अदालत से आज दिनांक 29-10-2010 को जारी हुआ।

मोहर।

राज कुमार वर्मा,  
कार्याकारी दण्डाधिकारी  
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।